भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1391

15 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

पीएम- स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण आवेदन पत्र

1391. श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारेः
श्री एस. सी. उदासी:
श्री देवजी पटेलः
श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:
श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः
डॉ. मनोज राजोरिया:
श्री दिलीप शइकीयाः
श्रीमती रंजीता कोली:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के तहत पथ विक्रेताओं से प्राप्त/स्वीकृत आवेदनों की कुल संख्या तथा इसके अंतर्गत कितना ऋण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषरूप से झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और असम को जारी/संवितरित किया गया है:

(ख) निश्चित समय सीमा के अंदर विक्रेताओं द्वारा चुकाई गई ऋण राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अधिक से अधिक विक्रेताओं के वित्तीय समावेशन और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री</u>

(श्री कौशल किशोर)

(क): प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के तहत झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और असम राज्य में योजना की शुरुआत के बाद से प्राप्त/स्वीकृत आवेदनों की कुल संख्या/ विक्रेताओं को संवितरित ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	पात्र आवेदन	स्वीकृत आवेदन	संवितरित ऋण	संवितरित राशि (करोड़ रूपए में)
झारखंड	66,712	40,861	34,920	39.34
महाराष्ट्र	4,96,987	3,45,277	2,57,513	297.12
कर्नाटक	3,03,662	2,26,850	1,91,027	228.85
राजस्थान	1,59,308	88,202	71,344	74.90
असम	96,628	77,938	66,100	71.76

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): निर्धारित समय सीमा में विक्रेताओं द्वारा पूरी तरह अदा की गई ऋण राशि (10,000 रूपए तक का पहला ऋण और 20,000 रूपए तक का दूसरा ऋण) का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग): पीएम स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्रों में विक्रय करने वाले सभी पथ विक्रेताओं को उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, योजना के तहत ऋण देने की अवधि को मार्च, 2022 से दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। दिनांक 01.06.2022 से बढ़ाए गए 50,000/- रूपए तक के तीसरे ऋण की भी शुरूआत की गई है। इससे अधिक से अधिक विक्रेताओं को योजना के दायरे में लाने में मदद मिलेगी।

पीएम स्वनिधि योजना के तहत दिनांक 04 जनवरी, 2021 को 'स्वनिधि से समृद्धि' घटक आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य लाभार्थियों के परिवारों के रहने की स्थिति में सुधार के लिए सुरक्षा तंत्र बनाना है। इसका उद्देश्य लाभार्थी परिवारों का समग्र विकास और सामाजिक-आर्थिक उत्थान ध्यान में रखते हुए उनको भारत सरकार की मौजूदा आठ कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। ये योजनाएं हैं- पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जन धन योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण कामगारों (बीओसीडब्ल्यू) के तहत पंजीकरण, जननी सुरक्षा योजना और पीएम मातृ वंदना योजना।

****

दिनांक 15.12.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1391 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक -I

पीएम स्वनिधि योजना के तहत विक्रेताओं से प्राप्त हुए ऋण आवेदनों/स्वीकृत/जारी/संवितरित ऋण राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(05 दिसंबर, 2022 तक)

रैंक	राज्य का नाम	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	संवितरित ऋण	वितरित राशि (करोड़ रूपये में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	882	724	637	0.80
2	आंध्र प्रदेश	3,33,945	2,58,411	2,28,763	266.71
3	अरुणाचल प्रदेश	6,646	4,401	3,311	3.87
4	असम	96,628	77,938	66,100	71.76
5	बिहार	1,17,373	68,239	53,982	57.70
6	चंडीगढ़	7,823	5,503	5,044	6.24
7	छत्तीसगढ	1,11,556	65,714	55,797	62.78
8	दमन, दीव और दादरा तथा नगर हवेली	2,991	1,737	1,380	1.46
9	दिल्ली	1,28,386	83,560	58,585	64.36
10	गोवा	2,589	1,852	1,707	2.20
11	गुजरात	4,11,495	2,98,395	2,67,526	312.27
12	हरियाणा	69,475	44,663	36,350	42.87
13	हिमाचल प्रदेश	6,872	5,549	5,262	7.41
14	जम्मू और कश्मीर	26,933	20,291	18,026	21.62
15	झारखंड	66,712	40,861	34,920	39.34
16	कर्नाटक	3,03,662	2,26,850	1,91,027	228.85
17	केरल	19,834	15,970	14,970	19.80
18	लद्दाख	598	490	458	0.64
19	मध्य प्रदेश	8,85,347	6,84,558	6,16,076	729.38
20	महाराष्ट्र	4,96,987	3,45,277	2,57,513	297.12
21	मणिपुर	20,263	11,483	9,509	10.38
22	मेघालय	1,886	1,555	1,307	1.45
23	मिजोरम	996	642	616	0.75
24	नागालैंड	3,456	2,299	1,946	2.27
25	ओडिशा	80,501	57,294	42,005	47.89
26	पुदुचेरी	2,433	1,905	1,679	2.08
27	पंजाब	1,10,852	54,520	47,312	52.96
28	राजस्थान	1,59,308	88,202	71,344	74.90
29	सिक्किम	5	1	1	0.00
30	तमिलनाडु	4,25,475	2,48,425	2,08,741	238.66
31	तेलंगाना	6,21,689	5,19,339	4,47,589	544.78
32	त्रिपुरा	6,162	4,549	3,750	4.25
33	उत्तर प्रदेश	12,44,724	10,66,569	9,97,523	1,121.29
34	उत्तराखंड	25,887	17,253	15,533	19.18
35	पश्चिम बंगाल	34,264	16,883	14,516	14.77
कुल		**58,34,635**	**43,41,902**	**37,80,805**	**4,372.81**

दिनांक 15 दिसंबर, 2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1391 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

पीएम स्वनिधि योजना के तहत निर्धारित समय सीमा के तहत विक्रेताओं द्वारा पूरी तरह अदा की गई ऋण राशि (पहला और दूसरा ऋण) दर्शाने वाला ब्यौरा

(05 दिसंबर, 2022 तक)

क्र.सं.	राज्य के नाम	पहला ऋण		दूसरा ऋण	
		पूरी तरह चुकाया गया ऋण	चुकाई गई राशि (करोड़ रूपए में)	पूरी तरह चुकाया गया ऋण	चुकाई गई राशि (करोड़ रूपए में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	371	0.37	5	0.01
2	आंध्र प्रदेश	97,648	97.13	439	0.94
3	अरुणाचल प्रदेश	1,779	1.78	22	0.05
4	असम	12,235	12.32	144	0.32
5	बिहार	21,870	21.55	33	0.07
6	चंडीगढ़	2,349	2.34	44	0.09
7	छत्तीसगढ	25,968	25.75	231	0.50
8	दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली	813	0.81	-	-
9	दिल्ली	24,826	24.66	37	0.08
10	गोवा	982	0.98	29	0.06
11	गुजरात	81,795	81.60	1,493	3.12
12	हरियाणा	15,454	15.35	183	0.39
13	हिमाचल प्रदेश	2,614	2.61	216	0.44
14	जम्मू और कश्मीर	8,625	8.64	135	0.28
15	झारखंड	15,912	15.83	98	0.21
16	कर्नाटक	80,228	80.08	1,165	2.48
17	केरल	6,793	6.75	344	0.71
18	लद्दाख	252	0.25	5	0.01
19	मध्य प्रदेश	2,01,915	201.98	3,627	7.68
20	महाराष्ट्र	1,05,056	104.48	740	1.59
21	मणिपुर	3,672	3.68	9	0.02
22	मेघालय	262	0.27	9	0.02
23	मिजोरम	362	0.36	11	0.02
24	नागालैंड	892	0.89	7	0.02
25	ओडिशा	22,787	22.54	115	0.25
26	पुदुचेरीर्	840	0.84	2	-
27	पंजाब	22,618	22.42	58	0.13
28	राजस्थान	39,490	39.28	22	0.04
29	सिक्किम	-	-	-	-
30	तमिलनाडु	86,980	86.24	228	0.48
31	तेलंगाना	2,12,248	210.78	970	2.09
32	त्रिपुरा	1,373	1.37	44	0.09
33	उत्तर प्रदेश	3,36,966	331.49	1,050	2.24
34	उत्तराखंड	7,359	7.32	82	0.17
35	पश्चिम बंगाल	3,107	3.07	-	-
कुल		**14,46,441**	**1,435.81**	**11,597**	**24.60**

नोट: 36 महीने की अवधि के लिए 50,000 रूपये तक का तीसरा ऋण 01 जून 2022 से शुरू किया गया है, इसलिए अभी तक कोई भी ऋण पूरी तरह से अदा नहीं किया गया है।

*****